

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं० 476 / न० अ० वि०

दिनांक 18.1.13


गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल 30 प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री अशुजा कुमारी दिव्यानिपा
पाणिगर होसले अंजली रिपलर वगैरह
पिता/पति का नाम श्री आराजी सख्खा 32.33/1.35.36 मीजा पल्लवा वाराणसी
वाई 38/1.38/2 में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन
चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक20



नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आजानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झोंप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से सरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हो तो दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटाए जायें जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अधिकार क्षेत्र के हेत किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा।

शर्त :-

1. पक्ष को स्थल पर सोलर वाटर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
2. पक्ष को स्थल पर मानक के अनुसार 34 पेड़ लगाना होगा।
3. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि० 06.10.12 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
4. शासनादेश सं०-570/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 03 फरवरी 2001 एवं शासनादेश सं०-772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
5. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन का किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
6. भवन में ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
7. आपको किसी प्रकार का वाह्य लिवेज नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त कर करना होगा।
8. भविष्य में यदि स्वामित्व सम्बन्धित कोई विवाद/तथ्य उजागर होता है जो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. कूड़ा संचयन हेतु उपर्युक्त स्थिति एवं स्थान सुनिश्चित करना होगा तथा निस्कार की व्यवस्था करनी होगी।
10. आपको मानक के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
11. पक्ष को शासनादेश संख्या-3388/आव-1-11-80विविध/2010 से निर्धारित प्राविधानों एवं शर्तों का अनुपालन करना होगा।
12. पक्ष को समस्त भवन निर्माण सामग्री अपने भूखण्ड के अन्दर रखना होगा एवं स्टैकिंग चार्ज देना होगा।
13. शपथ पत्र दिनांक 27.03.12 एवं दिनांक 16.01.13 का अनुपालन करना होगा।

अध्यापक अभियन्ता (निर्माण)
नियंत्रण विभाग, नगरपालिका, नवलपरासी